

संख्या-1389/एक-10-2024

प्रेषक,

भानुचन्द्र गोस्वामी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 6 नवम्बर, 2024

विषय- अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित योजना Scheme for expansion and modernisation of fire services in the States from the earmarked allocation of preparedness and capacity building funding window under the National Disaster Response Fund (NDRF) based on 15th finance commission, हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में ₹0 230.601 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

नहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफ0एस0(टी0)-201-2021, दिनांक 23.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित योजना Scheme for expansion and modernisation of fire services in the States from the earmarked allocation of preparedness and capacity building funding window under the National Disaster Response Fund (NDRF) based on 15th finance commission, हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर एनडीआरएफ के तहत राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु स्विकृत योजना की कुल लागत ₹0 769.90 करोड़ के सापेक्ष धनराशि की प्रथम किश्त आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की प्रोपर्टीज एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग मद से 30प्र0 राज्य की अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की योजना के लिए राज्य के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की संस्तुति के उपरान्त सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से ₹0 768.67 करोड़ का वित्तीय आउटले स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से उक्त स्वीकृति का आदेश प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश दिनांक 18.06.2024 में केन्द्र का अंश जो राज्य सरकार को एलोकेट किया गया है और राज्य का अंश निम्नवत है:-

Total Project Proposal	Allocated to the State from NDRF	States' share
768.67	576.50	192.17

उक्त योजना के लिए 03 किश्तों (30%, 40%, 30%) में धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त होनी है कि पूर्व अवमुक्त किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग हो जाने पर अगली किश्त योजना के लिए अवमुक्त होगी। इस प्रकार अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित उक्त योजना का वित्त पोषण 75 प्रतिशत केन्द्रांश और 25 प्रतिशत राज्यांश के माध्यम से किया जाना है। जिसमें से 75 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम

किश्त के रूप में 30 प्रतिशत ₹0 172.95 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के पत्र दिनांक 02-07-2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित उक्त योजना के वित्तपोषण हेतु अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत दैवीय विपतियों के सम्बन्ध में राहत हेतु एन0डी0आर0एफ0 के बजट लेखा शीर्ष 2245-05-800-05 में एन0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 1000 करोड़ से प्रश्नगत योजना हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि का 75 प्रतिशत केन्द्रांश (कुल लागत का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹0 576.50 करोड़) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 30 प्रतिशत ₹0 172.95 करोड़ की धनराशि तथा प्रश्नगत योजना हेतु राज्यांश के रूप में मैचिंग शेयर (कुल लागत का 25 प्रतिशत अर्थात् ₹0 192.17 करोड़) की प्रथम किश्त के रूप में 30 प्रतिशत अर्थात् ₹0 57.651 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए योजना की प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹0 230.601 करोड़ की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, 30प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

- (1) अवनुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाले कार्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, 30प्र0, लखनऊ का होगा।
- (3) उक्त धनराशि का उपयोग पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के आधार पर राष्ट्रीय आपदा मोचक फण्ड (एन0डी0आर0एफ0) विन्डो के प्रोपेयर्डनेस एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग मद से राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन द्वारा 04.07.2023 को निर्गत गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, 30प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (4) एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के तहत दिनांक 22-04-2022 के पत्राचार संख्या-33-02/2020-एन0डी0एम0 के तहत जारी तैयारी और क्षमता निर्माण विंडो के गठन एवं प्रशासन से सम्बन्धित दिशानिर्देशों में निहित अन्य प्रावधान अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु निर्धारित आवंटन हेतु योजना के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत योजना हेतु स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की हाई लेवल कमेटी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

- (8) अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत सभी प्रॉक्योरमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव ए0एम0सी0 कन्डीशन के साथ जेम् पोर्टल के माध्यम से प्रॉक्योरमेंट रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े सगाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 3- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय रू0 230.601 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्ष 2245-05-800-05 में एन0डी0आर0एफ0 से व्यय-मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत पतिलिखित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
Bhanu Chandra Goswami
Date: 05-11-2024 16:25:14

(भानुचन्द्र गोस्वामी)
विशेष सचिव।

संख्या:-1389(1)/एक-10-2024 तदिनांक।

पतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- उपसचिव, आपदा प्रवन्धन प्रभाग, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार।
- 6- निदेशक, एफ0सी0डी0, व्यय विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार।
- 7- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-20/11/2024

प्रेषण संख्या:- 1389
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1389
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
05 - नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	2306010000 2306010000	2306010000 2306010000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2306010000 2306010000	2306010000 2306010000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो अरब तीस करोड़ साठ लाख दस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब तीस करोड़ साठ लाख दस हजार



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।